

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक **31** जनवरी 2017

विषय:- अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (एमडीआर-82डब्लू) किमी 0 01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

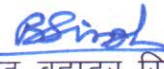
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/06/05/2017/101, दिनांक 13-01-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों के साथ प्रस्ताव वापस किया गया है, जिसका निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- विषयगत प्रकरण के सम्बंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 13-01-2017 के साथ प्रस्ताव की 02 प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार की अपेक्षानुसार कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- प्रस्ताव 02प्रतियां।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।